

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 1210 सन 2021

अनवान :-

1. रोहिताष कुमार पुत्र धर्मपाल जाति जाट निवासी साहुवाला तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
वादी

बनाम

1. शान्तीदेवी पत्नी अमीलाल जाति जाट साकिन साहुवाला तहसील नोहर।
2. धर्मपाल पुत्र अमीलाल जाति जाट साकिन साहुवाला तहसील नोहर।
3. रामस्वप पुत्र अमीलाल जाति जाट साकिन साहुवाला तहसील नोहर।
4. वेदप्रकाश पुत्र अमीलाल जाति जाट साकिन साहुवाला तहसील नोहर।
5. सुरेश कुमार पुत्र धर्मपाल जाति जाट साकिन साहुवाला तहसील नोहर।
6. रामनिवास पुत्र रामस्वरूप जाति जाट साकिन साहुवाला तहसील नोहर।
7. रणसिंह पुत्र वेदप्रकाश जाति जाट साकिन साहुवाला तहसील नोहर।
8. समाकोरी पुत्री अमीलाल जाति जाट साकिन साहुवाला तहसील नोहर।
9. नारायणी पुत्री अमीलाल जाति जाट साकिन साहुवाला तहसील नोहर।
10. मेसर पुत्री अमीलाल जाति जाट साकिन साहुवाला तहसील नोहर।
11. रोशनी पुत्री अमीलाल जाति जाट साकिन साहुवाला तहसील नोहर।
12. सुमन कुमारी पुत्री रामस्वरूप जाति जाट साकिन साहुवाला तहसील नोहर।
13. प्रमीला पुत्री रामस्वरूप जाति जाट साकिन साहुवाला तहसील नोहर।
14. सावित्री पुत्री रामस्वरूप जाति जाट साकिन साहुवाला तहसील नोहर।
15. संतोष पुत्री वेदप्रकाश जाति जाट साकिन साहुवाला तहसील नोहर।
16. सिलोचना पुत्री वेदप्रकाश जाति जाट साकिन साहुवाला तहसील नोहर।
17. शारदा पुत्री वेदप्रकाश जाति जाट साकिन साहुवाला तहसील नोहर।
18. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री मागेराम गोदारा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 15.12.2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा भूकरका के खाता संख्या 492/420 की कुल 47.9170 हैक् में से 4437/479170 हिस्सा भूमि प्रत्येक प्रतिवादी संख्या 1 ता 4, 8, 9 एव प्रतिवादी संख्या 10, 11 के नाम 2218/239585 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के पूर्वज अमीलाल पुत्र प्रेमराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के पूर्वज अमीलाल पुत्र प्रेमराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र/पुत्रीया /मृतक पुत्र/पुत्री के वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 17 के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसमें से कृष्णा पुत्री अमीलाल लावल्द फोट हो चुकी है जिसके कारण कृष्णा के हक हिस्सा की भूमि के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 17 जायज वारिसान है।

प्रतिवादी संख्या 1 वादी की दादी है एवं प्रतिवादी संख्या 2 वादी का पिता है प्रतिवादी संख्या 3, 4 प्रतिवादी संख्या 6, 7 के पिता है प्रतिवादी संख्या 8 ता 11 वादी की बुआ है प्रतिवादी संख्या 12, 13 मृतक रामस्वरूप के वारिसान है एवं प्रतिवादी संख्या 14 ता 17 वेदप्रकाश की पुत्रीया है प्रतिवादी संख्या 1 ता 4, 8 ता 17 ने अपने हक हिस्सा की भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 का बराबर का हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 17 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 ता 17 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रशासन गांव के संग अभियान में प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाने के उपरान्त प्रतिवादी संख्या 1 ता 17 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 17 ने निवेदन किया की उसके नाम से


उपखण्ड अधिकारी
नोहर

दर्ज भूमि उसके पिता अमीलाल पुत्र प्रेमराम के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है अमीलाल पुत्र प्रेमराम की पुत्री कृष्णा लावल्द फोट हो चुकी है जिसके हक हिस्सा की भूमि के जायज हकदार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 17 है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ,8 ता 17 ने निवेदन किया की उन्होंने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पिता/भतिजो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं परोकार राज ने निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं मजमें आम की सहमति/जानकारी के आधार पर वाद का निस्तारण फरमावे।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल/आपसी सहमति मजमे आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रही।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान - वर्ष -2021 कैम्प कोर्ट में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में उभयपक्षों की सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 17 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल/सहमति पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है तथा अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायाधिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काशतकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद न्यायाधिक दृष्टान्तों एवं आपसी सहमति /मजमे आम की सहमति /जानकारी के आधार पर वाद वादी डिक्री फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षों को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 7 जेएसएन के खाता संख्या 63/106 की कुल 6.7420हैक् एवं रोही मौजा 2 जेएसएन के खाता संख्या 63/98 की कुल 0.3290हैक् मं से 1/3 हिस्सा यानी 0.109हैक् व रोही मौजा चक 1 जेएसएन के खाता संख्या 106/198की कुल 6.5400हैक् में से 1/3 हिस्सा यानी 2.180हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।


वादी का कथन है कि वाद भूमि जो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 17 व कृष्णा के नाम से दर्ज भूमि उसके पिता अमीलाल पुत्र प्रेमराम के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है अमीलाल पुत्र प्रेमराम की पुत्री कृष्णा लावल्द फोट हो चुकी है जिसके हक हिस्सा की भूमि के जायज हकदार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 17 है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 17 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ,8 ता 17 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ,8 ता 17 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ,8 ता 17 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 17 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं परोकार राज का किसी प्रकार का ऐतराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा भुकरका के खाता संख्या 492/420 की कुल 47.9170हैक् में से 1 ता 4 ,8 ,9 प्रत्येक के 4437/479170 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 10 ,11 और कृष्णा पुत्री अमीलाल प्रत्येक के नाम 2218/239585 हिस्सा दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 5 के नाम सयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 6 ,7 प्रत्येक 1/3 हिस्सा का खातेदार काशतकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.12.2021 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।


 उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
 नोहर (हनुमानगढ़)
 प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष- 2021
 कैम्प कोर्ट...उज्जलवास .

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. रोहिताष कुमार पुत्र धर्मपाल जाति जाट निवासी साहुवाला तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. शान्तीदेवी पत्नी अमीलाल जाति जाट साकिन साहुवाला तहसील नोहर।
2. धर्मपाल पुत्र अमीलाल जाति जाट साकिन साहुवाला तहसील नोहर।
3. रामस्वप पुत्र अमीलाल जाति जाट साकिन साहुवाला तहसील नोहर।
4. वेदप्रकाश पुत्र अमीलाल जाति जाट साकिन साहुवाला तहसील नोहर।
5. सुरेश कुमार पुत्र धर्मपाल जाति जाट साकिन साहुवाला तहसील नोहर।
6. रामनिवास पुत्र रामस्वरूप जाति जाट साकिन साहुवाला तहसील नोहर।
7. रणसिंह पुत्र वेदप्रकाश जाति जाट साकिन साहुवाला तहसील नोहर।
8. समाकोरी पुत्री अमीलाल जाति जाट साकिन साहुवाला तहसील नोहर।
9. नारायणी पुत्री अमीलाल जाति जाट साकिन साहुवाला तहसील नोहर।
10. मेसर पुत्री अमीलाल जाति जाट साकिन साहुवाला तहसील नोहर।
11. रोशनी पुत्री अमीलाल जाति जाट साकिन साहुवाला तहसील नोहर।
12. सुमन कुमारी पुत्री रामस्वरूप जाति जाट साकिन साहुवाला तहसील नोहर।
13. प्रमीला पुत्री रामस्वरूप जाति जाट साकिन साहुवाला तहसील नोहर।
14. सावित्री पुत्री रामस्वरूप जाति जाट साकिन साहुवाला तहसील नोहर।
15. संतोष पुत्री वेदप्रकाश जाति जाट साकिन साहुवाला तहसील नोहर।
16. सिलोचना पुत्री वेदप्रकाश जाति जाट साकिन साहुवाला तहसील नोहर।
17. शारदा पुत्री वेदप्रकाश जाति जाट साकिन साहुवाला तहसील नोहर।
18. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 1210 सन 2021 निर्णय दिनांक- 15.12.2021

आज यह वाद प्रशासन गांव क संग अभियान वर्ष - 2021 कैम्प कोर्ट में मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा भुकरका के खाता संख्या 492/420 की कुल 47.9170हैक में से 1 ता 4 ,8 ,9 प्रत्येक के 4437/479170 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 10 ,11 और कृष्णा पुत्री अमीलाल प्रत्येक के नाम 2218/239585 हिस्सा दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 5 के नाम सयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 6 ,7 प्रत्येक 1/3 हिस्सा का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 15.12.2021 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

नोहर (हनुमानगढ)

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष- 2021

कैम्प कोर्ट....उज्जलवास